बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्रांक– पी0पी0एम0–77/2016 5056 /कृ0, पटना दिनांक 30-11-,2016

प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

#द्वारा – वित्त विभाग।

विषय – **वित्तीय वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) अंतर्गत कुल 5303.652 लाख रूपये (तिरपन करोड़ तीन लाख पैंसठ हजार दो सौ रूपये) (केन्द्रांश 2677.5912 लाख रूपये, राज्यांश 1785.0608 लाख रूपये एवं राज्य योजना 841.00 लाख रूपये) के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

निदेशानुसार, वित्तीय वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) अंतर्गत कुल 5303.652 लाख रूपये (तिरपन करोड़ तीन लाख पैंसठ हजार दो सौ रूपये) (केन्द्रांश 2677.5912 लाख रूपये, राज्यांश 1785.0608 लाख रूपये एवं राज्य योजना 841.00 लाख रूपये) के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में भारत सरकार के पत्रांक पत्रांक–7–1/2016–RKVY दिनांक– 19.04.2016 द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) में केन्द्रांश 104.39 करोड़ रू० एवं राज्यांश 69.60 करोड़ रू० कुल 173.99 करोड़ रू० उद्व्यय संसूचित किया गया है। उक्त के आलोक में कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के ज्ञापांक–2126 दिनांक–16.05.2016 के द्वारा कृषि विभाग के लिए केन्द्रांश 75.30 करोड़ रू० एवं राज्यांश 50.20 करोड़ रू० कुल 125.50 करोड़ रू० कर्णांकित किया गया है। उक्त उद्व्यय के आलोक में अब तक भारत सरकार से केन्द्रांश मद में राशि विमुक्त नहीं किया गया है। **भारत सरकार से केन्द्रांश मद में राशि विमुक्त होने के बाद आवंटनादेश निर्गत कर राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।**

3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित कार्यक्रमों को राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की दिनांक–12.01.2016 एवं 05.08.2016 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना है। साथ ही धान के बाद परती भूमि व खरीफ मक्का के क्षेत्र के लिए स्थायी सघनीकरण तकनिकियॉ विकसित करना है। कार्यक्रम के फलस्वरूप इन फसलों का उपज बढ़ेगा तथा किसान खुशहाल होगें। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत कार्यक्रम निम्न प्रकार है:–

(राशि लाख रूपये में)

क्र०	कार्यक्रम	सहायता दर	इकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		
					रा०कृ०वि० योजना	राज्य योजना	कुल
1	श्री विधि तकनीक से धान की खेती का प्रत्यक्षण कार्यक्रम	रू० 2820/- प्रति एकड	एकड़	82150	2316.63		2316.63
2	पैडी ट्रांसप्लान्टर से धान प्रत्यक्षण कार्यक्रम	रू० 2320/- प्रति एकड़	एकड़	13750	319.00		319.00
3	सुगंधित धान प्रत्यक्षण कार्यक्रम	रू० 1820/- प्रति एकड़	एकड	28750	523.25		523.25
4	संकर मक्का के साथ दलहन अन्तर्वर्ती प्रत्यक्षण कार्यक्रम	रू० 2320/- प्रति एकड	एकड	9460	219.472		219.472
5	संकर धान प्रभेदों का बीज वितरण कार्यक्रम	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 100/कि0	क्वीं०	10000	500.00	500.00	1000.00

F:\ABHINAV\2016-17\RKVY SanodhitPradhikrit checklist 2016-17.docx

6	जलवायु परिवर्तन की स्थिति से समावेश के लिए क्रॉपिंग पैटर्न में परिवर्तन की योजना						
i	मडुआ प्रत्यक्षण कार्यक्रम	रू० 855/- प्रति एकड	एकड़	6000	51.30		51.30
ii	संकर मक्का प्रभेदों का बीज वितरण कार्यक्रम@ Rs.100/Kg. for 8 kg/Acre	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 100/कि0	क्वीं०	6500	325.00	325.00	650.00
iii	अरहर बीज वितरण कार्यक्रम @ Rs.50/Kg. for 8 kg/Acre	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 50/कि0	क्वीं०	480	12.00	12.00	24.00
iv	संकर बाजरा बीज वितरण कार्यक्रम @ Rs.100/Kg. for 2 kg/Acre	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 100/कि0	क्वीं०	80	4.00	4.00	8.00
7	बिहार में धान के बाद परती भुमि व खरीफ मक्का क्षेत्र का संरक्षित कृषि द्वारा मौसम के अनुकूल टिकाऊ				192.00		192.00
	कुल				**4462.652**	**841.00**	**5303.652**

योजना केन्द्रांश एवं राज्यांश के 60:40 के अनुपात में लागू की जायेगी। केन्द्रांश की राशि भारत सरकार द्वारा एवं राज्यांश की राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। अनुदान में टॉप–अप की राशि राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना से उपलब्ध होगी।

4. **श्री विधि तकनीक से धान की खेती का प्रत्यक्षण कार्यक्रम** – श्री विधि से धान की खेती करने से धान की उत्पादकता में वृद्धि होती है। इस विधि में कम बीज एवं पानी की आवश्यकता होती है। पौधों की रोपनी निश्चित दूरी पर की जाती है जिससे प्रत्येक पौधा को पर्याप्त पोषण, वायु, रोशनी प्राप्त होता है। श्री विधि पद्धति के अपनाने से धान की उत्पादकता में वृद्धि होगी।

5. **पैडी ट्रांसप्लान्टर से धान प्रत्यक्षण कार्यक्रम** – धान की रोपनी/बुआई कार्य हेतु नवीनतम कृषि यंत्रों को विकसित किया गया है। इस यंत्र के उपयोग से कम समय में अधिक क्षेत्रों में रोपनी/बुआई का कार्य सम्पन्न कराया जा सकता है। इस विधि में पौधो की रोपनी पंक्ति में होती है एवं पौधों से पौधों की दूरी बनाया रखना संभव होता है ताकि पौधों का स्वस्थ विकास हो सके एवं उच्च उत्पादकता प्राप्त हो सके।

6. **सुगंधित धान प्रत्यक्षण कार्यक्रम** – कृषि रोड मैप 2012–17 में सुगन्धित धान प्रत्यक्षण का 62500 एकड़ लक्ष्य निर्धारित है। इस वित्तीय वर्ष 2016–17 में 28750 एकड़ में इस प्रत्यक्षण को कार्यान्वित किये जाने का प्रावधान किया गया है। इन प्रभेदों का बाजार मूल्य अधिक रहने के कारण कृषकों को इसकी खेती से अधिक लाभ मिलेगा।

7. **संकर मक्का के साथ दलहन अन्तर्वर्ती प्रत्यक्षण कार्यक्रम** – अन्तर्वर्त्तीय खेती सघन खेती का वह रूप है जिसमें दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ लगाया जाता है। अन्तर्वर्त्तीय फसलों में एक खास दूरी रखते हैं। इस विधि में दो फसलों को अलग–अलग पंक्तियों में लगाते हैं।

8. **संकर धान प्रभेदों का बीज वितरण कार्यक्रम** – फसल उत्पादकता वृद्धि में बीज मुख्य कारक है। किसानों के द्वारा घर में रखे बीज का ही उपयोग किया जाता है। एक ही बीज को बार–बार उपयोग करने से उसकी उपज क्षमता में ह्रास होता है। किसानों को नवीनतम प्रभेदों का बीज उपयोग करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से अनुदानित दर पर बीज वितरण किया जाना है। संकर किस्मों के बीज की कीमत अधिक होने के कारण राज्य योजना से अतिरिक्त अनुदान देने का प्रावधान है।

9. **जलवायु परिवर्तन की स्थिति से समावेश के लिए क्रॉपिंग पैटर्न में परिवर्तन की योजना** – जलवायु परिवर्तन को ध्यान रखते हुए फसल चक्र में ऐसे फसलों को समावेश करने की आवश्यकता है जो जलवायु परिवर्तन के प्रति सहिष्णु हो और परिवर्तित जलवायु से भी खाद्य संकट का सामना किया जा सके। इसके अंतर्गत निम्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जायेगा :–

(क) **मडुआ प्रत्यक्षण कार्यक्रम** :– मडुआ जलवायु परिवर्तन के प्रति सहिष्णु है एवं कम पानी में भी उगाया जा सकता है। साथ ही इसकी पोषण क्षमता भी अधिक है।

(ख) **संकर मक्का प्रभेदों का बीज वितरण कार्यक्रम** :– मक्का एक ऐसा फसल है जो जलवायु परिवर्तन को सहन करते हुए अच्छी उत्पादकता दे सकता है। उत्पादन के लिए जल की आवश्यकता भी कम है। यदि पर्याप्त वर्षा नहीं हो तो धान के स्थान पर मक्का की खेती की जा सकती है।

(ग) **अरहर बीज वितरण कार्यक्रम** :– अरहर कम पानी से उगाया जा सकता है एवं दलहन की उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

(घ) **संकर बाजरा बीज वितरण कार्यक्रम** :– बाजरा कम पानी एवं कम उगाया जाने वाला कम अवधि का फसल है जो जलवायु परिवर्तन के प्रति सहिष्णु है। इसकी पोषक क्षमता भी अच्छी है।

10. **बिहार में धान के बाद परती भूमि व खरीफ मक्का क्षेत्र का संरक्षित कृषि द्वारा मौसम के अनुकूल टिकाऊ सघनीकरण** – धान के बाद परती खेतों के लिए ऐसी तकनिकियाँ विकसित की जायेगी जो 1–1.5 टन प्रति हैक्टेयर दलहन/तिलहन या 3–4 टन प्रति हैक्टेयर धान फसल प्रति वर्ष अतिरिक्त पैदा कर सके। खरीफ मक्का के लिए ऐसी तकनिकियाँ विकसित की जायेगी जो उसकी पैदावार का दो गुना कर सके। विभिन्न परिस्थितियों के लिए अलग–अलग ऐसे फसल उत्पादन नमूना (Model) विकसित किये जायेगें जिससे पैदावार में कम से कम 50 प्रतिशत की वृद्धि हो सके। किसानों तथा तकनीकी प्रसार से जुड़े लोगों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

11. बीज वितरण कार्यक्रम में राज्य योजना से अनुदान टॉप–अप करने के लिए राज्य योजना अंतर्गत बीज उत्पादन कार्यक्रम योजना से 841.00 लाख रू० व्यय किया जायेगा।

12. (क) योजना अन्तर्गत विभिन्न मदों में वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–1 से 9 तक संलग्न है। इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी होंगे। स्वीकृत राशि की निकासी जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा संबंधित कोषागार से की जायेगी।

(ख) बोरलॉग इन्सटिटयूट ऑफ साउथ एशिया से संबंधित विवरणी अनुसूची –10 पर संलग्न है। स्वीकृत राशि की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा बी0टी0सी0 फार्म–42 पर संबंधित कोषागार से की जायेगी तथा बोरलॉग इन्सटिटयूट ऑफ साउथ एशिया को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ग) उक्त योजना से लाभान्वित कृषकों, जिनका बैंक में खाता खुल चुका है, को अनुदान की राशि/लाभ DBT (Direct Benefit Transfer) Programme के तहत सीधे बैंक खाता में आंतरित किया जायेगा। जिन कृषकों का अभी तक बैंक में खाता नहीं खुला है, उनका बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य है। इन कृषकों का बैंक खाता खुल जाने के उपरांत इस योजना का लाभ मिल सकेगा।

13. वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के उद्व्यय में वृद्धि होने की स्थिति में अथवा राशि अवशेष रह जाने के कारण विभाग द्वारा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य इस प्रस्ताव में सन्निहित दिशानिर्देशों के आलोक में बढ़ाया जा सकता है। उक्त योजना का कार्यान्वयन कृषि रोड मैप के लिए निर्धारित कार्यान्वयन अनुदेश तथा भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका के अनुसार किया जायेगा। कार्यान्वयन अनुदेश में आवश्यकता होने पर आवश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

14. योजना का बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि का विवरण निम्न प्रकार है, (राशि लाख रूपये में)

	बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
1.	**राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (केन्द्रांश)**		
(i)	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण–मांग सं०–1 उपशीर्ष–0216–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड–P2401001090216, पी०एफ०एम०एस० कोड–9145, विषयशीर्ष–3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	17451.72	2222.40070
(ii)	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–मांग सं०–1 उपशीर्ष–0203–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के० वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड–P2401007890203, पी०एफ०एम०एस० कोड–9145,विषय शीर्ष–3106–सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	4474.80	428.41459
(iii)	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–मांग सं०–1 उपशीर्ष– 0231 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड –P2401007960231, पी०एफ०एम०एस० कोड–9145 विषय शीर्ष–3106–सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	447.48	26.77591
	योग	**22374.00**	**2677.5912**
2.	**राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (राज्यांश)**		
(i)	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष 109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण–मांग सं०–1 उपशीर्ष– 0316–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड–P2401001090316, पी०एफ०एम०एस० कोड–9145,विषय शीर्ष–3106 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा	11634.48	1481.60046